



सराहनीय कार्य



इटावा पुलिस

प्रेस नोट- दिनांक 21.07.2024

मात्र 24 घण्टे के अंदर नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म करने वाले 01 अभियुक्त को इटावा पुलिस द्वारा किया गया गिरफ्तार।

अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, कानपुर एवं पुलिस महानिरीक्षक कानपुर परिक्षेत्र, कानपुर के निर्देशन एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री संजय कुमार के पर्यवेक्षण में थाना बलरई पुलिस टीम द्वारा की गयी कार्यवाही।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 20.07.2024 को थाना कोतवाली क्षेत्रान्तर्गत निवासिनी द्वारा थाना बलरई पर सूचना दी गयी कि गीतम लोधी द्वारा उसके साथ दुष्कर्म किया गया है। सूचना पर तत्काल थाना बलरई पर मु0अ0सं0 37/2024 धारा 376/506 भादवि व बढ़ोत्तरी धारा 3/4 (2) पोक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का संक्षिप्त विवरण:-

जनपद में अपराध/आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम एवं वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में दिनांक 21.07.2024 को थाना बलरई पुलिस टीम द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत भ्रमणशील थी इसी दौरान प्राप्त आपराधिक अभिसूचना के आधार पर 01 अभियुक्त को बलरई अन्डर पास से समय करीब 09.20 बजे को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

- गीतम लोधी पुत्र रामदुलारे निवासी ग्राम नगला तौर थाना बलरई जनपद इटावा **उम्र 39 वर्ष**।

पंजीकृत अभियोग:-

- मु0अ0सं0 37/2024 धारा 376/506 भादवि व धारा 3/4 (2) पोक्सो एक्ट थाना बलरई जनपद इटावा।

पुलिस टीम:- उ0नि0 श्री अमित कुमार मिश्र थानाध्यक्ष बलरई, का0 राहुल भारद्वाज, का0 आशू।